तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो की तामीर
	पीठासीन अधिकारी महो. ~~राजकीय दौरे~~ / ~~कानून व्यवस्था~~ / प्रोटोकॉल राजकार्य में ... होने कारण दिनांक 16/6/25 ... राजस्व मुकदयात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18/6/25 नियत की जाती है। [initials]	
	पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे / कानून व्यवस्था / प्रोटोकॉल राजकार्य में ... होने कारण दिनांक 18/6/25 ... राजस्व मुकदयात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 20/6/25 नियत की जाती है। [initials]	
	20/6/25 वकील उभयपक्ष उप0। बहस हेतु समय चाहा गया। पत्रावली दिनांक 27/6/25 को पेश हो। [initials]	
	पीठासीन ... 27/6/25 ... राजस्व ... में आगामी तारीख पेशी दिनांक 9/7/25 नियत की जाती है। [initials]	
9/7/25	वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस हेतु समय चाहा गया पत्रावली दिनांक 16/7/25 पेश हो [initials]	
16/7/25	वकील उभयपक्ष उप0। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील का दौहरान करते हुए निवेदन किया गया है कि नामा० संख्या 1855 दिनांक 5/7/2019 द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 888/153 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा ग्राम पाली ~~में से हिस्सा~~ हिस्सा 1/2 मे से 2 बीघा भूमि रेस्पो० को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 4/6/2019 को विक्रय की गई। परन्तु नामा० भरते समय अपीलार्थी की खातेदारी भूमि हिस्सा 1/2 भाग की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण रेस्पो० के नाम गलत/फर्जी तरीके से ~~स~~ ग्राम पंचायत पाली	

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स...) सत्यमेव जयते

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा खोल दिया गया। जिसे निरस्त फरमाये जाने कृपा करें। वकील रेस्पो० द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत पाली द्वारा नामा० सही खोलागया है। ग्राम पंचायत द्वारा खोले गये नामा० 1855 को यथावत रखा जाने की कृपा करें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वाराप्रस्तुत मूल विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। मूल नामा० तलब नार की गौर मरमाई फरमाई गई। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोन्डन्ट नाथी देवी पत्नि बद्रीलाल को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 4/6/2019 को आराजी खसरा नम्बर 888/153 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि मे अपीलार्थी का हिस्सा 1/2 मे से 2 बीघा भूमि का विक्रय पत्र किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत पाली द्वारा ~~अपार्थी~~ अपीलान्ट के हिस्से की भूमि 1/2 भाग का सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तरण संख्या 1855 दिनांक 5/7/2019 द्वारा खोल दिया गया है। जो प्रथम दृष्ट्या गलत पाया गया। ग्राम पंचायत पाली द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 1855 दिनांक 5/7/2019 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि वे विक्रय पत्र दिनांक 4/6/2019 के अनुसार नये सिरे से नामान्तकरण खोलेजाने की कार्यवाही करें। मूल नामा० तहसीलदार खण्डार को वापस भिजवाया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (sd.) उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स० मा०) (Seal: उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स० मा०))	